

न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), बाडमेर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती छायासिंह (आई.ए.एस.)

अनवान

प्रपत्र -5

अंतिम डिक्री

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गोमाराम पुत्र आसूराम जाति
जाट निवासी मूलाणी (नांद)
तहसील व जिला बाडमेर।

दावा बाबत 88, 53 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 60/2025


निर्णय दिनांक :- 05.08.2025

1 आसूराम पुत्र खेमाराम 2 पुरखाराम 3 दुर्गाराम
पिसरान आसूराम जाति जाट निवासी मूलाणी, नांद
तहसील व जिला बाडमेर 4 तहसीलदार बाडमेर।

वकील वादी व वकील प्रतिवादी संख्या-..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05.08.2025 को श्रीमती छायासिंह, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री निम्न प्रकार दी जाती है कि:-

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मूलाणी पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 364 रकबा 14.00 बीघा, खसरा संख्या 376 रकबा 84.14 बीघा, खसरा संख्या 394 रकबा 0.08 बीघा, खसरा संख्या 923/395 रकबा 24.13 बीघा, खसरा संख्या 408 रकबा 114.02 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें।

यह आज तारीख 05.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(छायासिंह)
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक), बाडमेर
बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
	जोड़		जोड़